

दिनांक

आज्ञा पत्र

२९.१०.२९

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पोंडेंट स्थिति
पीठासीन अधिकारी महोदय आज..... १८/१०/२९
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक..... ११/१०/२९
को पेश हो।

११/१०/२९

पत्रावली पेश। अपीलाट/रेस्पोंडेंट के अधिवक्ता ने
जाहिर किया है कि यह अपील धारा २१२ में पारित आदेश
के विरुद्ध धारा २२५ में प्रस्तुत की गई है। इस प्रकरण
में मूलवाद का निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा किया
जा चुका है। ऐसी स्थिति में यह अपील प्रभावहीन हो
चुकी है इसे खारिज किया जावे। चूंकी विचारण
न्यायालय में मूलवाद खारिज हो चुका है अतः यह
अपील प्रभावहीन हो चुकी है। फलस्वरूप अपील
अपीलाट प्रभावहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय
सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर से कम होकर बाद तरजीब तकमील दाखिल
दफतर हो।

nd
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प इन्चार्ज)

